नवभारत टाइम्स

खाद्य उद्योग एक जुलाई से नए पैकेजिंग नियमों का पालन सुनिश्चित करे: एफएसएसएआई

नयीदिल्ली, तीनजनवरी (भाषा) देशकेखाद्यनियामकभारतीयखाद्यसुरक्षाएवंमानकप्राधिकरण (एफएसएसएआई) नेबृहस्पतिवारकोकहाकिखाद्यउद्योगजगतकोएकजुलाईसेनएपैकेजिंगनियमोंकापालनसुनिश्चितकरनेकीजरूरतहै।प्राधिकरणकेनएनियमखाने-पीनेकीचीजोंकोपुनर्चक्रणवालीप्लास्टिकऔरअखबारोंमेंपैककरनेपरप्रतिबंधलगातेहैं।इसमेंखाने-पीनेकेसामानकोलाने-लेजाने,भंडारणकरनेवालेऔरवितरणकरनेवालेथैलोंमेंभीअखबारयापुनर्चक्रितप्लास्टिककाउपयोगनहींकियाजानाहै।स्याहीऔरडाईकेकैंसरजनकप्रभावोंपरसंज्ञानलेतेहुएएफएसएसएआईनेइननियमोंकेतहतअखबारमेंखाने-पीनेवालीचीजोंकोबांधनेपरभीरोकलगाईहै।साथहीखाद्यसामग्रीकीपैकेजिंगपरछापीजानेवालीस्याहीकेइस्तेमालकोभीभारतीयमानकोंकेअनरूपतयकियागयाहै।एफएसएसएआईकेमुख्यकार्यकारीअधिकारीपवनअग्रवालनेएकबयानमेंकहाकिनएपैकेजिंगनियमभारतमेंखाद्यसुरक्षाकोएकनएस्तरपरलेजाएंगे।उन्होंनेकहाकिअसंगठितक्षेत्रमेंइननियमोंकेअनुपालनमेंदिक्कतेंआसकतीहैं, लेकिनइसीकोध्यानमेंरखतेहुएइन्हेंलागूकरनेसेपहलेपर्याप्तसमयदियाजारहाहै।नएपैकेजिंगनियमएकजुलाई 2019 सेप्रभावमेंआएंगे।अग्रवालनेबतायाकिइससंबंधमेंसभीहितधारकोंसेबातचीतकीजाएगीऔरग्राहकोंएवंकारोबारोंकेबीचव्यापकस्तरपरजागरुकताअभियानभीचलायाजाएगा।